विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया, राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री पुर:स्थापित भी करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण, 2006 पर गठित
प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण, 2006 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये । प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत की जायेगी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): प्रश्न यह है कि..

श्री अध्यक्ष: हां, हां, मैं समझ गयी । डा.बुलाकीदास कल्ला ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। पैराटीचर्स के बारे में ।

श्री अध्यक्ष: मैंने तो आपको विधेयक पर, आपका प्रस्ताव है।जनमत जानने हेतु, उसके बारे में पुकारा है। और आप बात करने लगे पैराटीचर्स की ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसके बारे में भी परमीशन दी थी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जा रहा है। प्रवर समिति को ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज फैसला हो गया था कि जीरो ऑवर नहीं होगा ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने चैम्बर में कहा था कि पैरा टीचर्स के बारे में पांच मिनट आप कह दें ।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य शुरू हो गया । अब आप बीच में पैरा टीचर्स ला रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने तो उस दिन परमीशन दी थी न मुझे ।

श्री अध्यक्ष: उस दिन की बात उस दिन गयी ...(व्यवधान) उस दिन की बात उस दिन चल गयी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप लाइब्रेरी वाला ला रहे हो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब तो यह समाज विरोधी क्रियाकलाप का जो सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर रहे हैं। आपने जनमत जानने के लिए अपना अमेंडमेंट दिया है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ठीक है, प्रवर समिति को सौंप रहे हैं तो फिर क्या कहना है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्यों कह रहे हैं यह बात ...(व्यवधान) लैट हिम से ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपको नहीं इनको कह रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कह सकते हैं आप क्यों बीच में बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्रवर समिति को सौंपना है। तो फिर ठीक है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सबका वापिस मान लिया जाये, सबका वापस मान लिया जाये ...(व्यवधान) सबक जनमत के प्रस्ताव वापिस मान लिया जाये और प्रवर समिति को दे दीजिये ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जब प्रवर समिति को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठे-बैठे निर्दिष्ट करेंगे क्या उन्हें ...(व्यवधान)

देखिये, मुझे नाम पुकारना पड़ेगा । आप न बोलें आप कह दीजिये । अब यह कह सकते हैं जब सलेक्ट कमेटी को दे दिया तो अब मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे तो नाम पुकारना पड़ेगा ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्रवर समिति को सौंप दिया जाये तो मुझे कोई प्राब्लम नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव भी नहीं दिया था कि प्रवर समिति को सौंपेंगे । यह जो आज प्रस्ताव किया है... (व्यवधान) इसका मतलब सरकार ने कह तो दिया था तो फिर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर भी यदि कोई बोलना चाहे तो मुझे नाम पुकारना पड़ेगा ...(व्यवधान) आप न बोलें तो अलग बात है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, इस बिल में मैंने अमेंडमेंट दिया है...(व्यवधान) वह उस समय दे दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल (अनुपस्थित) श्री जुबेर खान (अनुपस्थित) श्री प्रद्युम्न सिंह ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यदि आसन की इच्छा है। कि सदन का समय जाया किया जाये तो हम निश्चित रूप से बोलेंगे ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): काहे को जाया करो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो आपकी मदद कर रहा था । आसन कह रहा है। कि नहीं आप कैसे कह सकते हैं दूसरों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ससम्मान स्थान ग्रहण करिये ...(व्यवधान) श्री संयम लोढ़ा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव जनमत जानने का वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेने की अनुशंसा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत ।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है। वह वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, जब सरकार स्वयं ही इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कर रही है। तो मैं अपना वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष: जनमत जानने का नहीं कर रही है, सलेक्ट कमेटी का कर रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रवर समिति का कर रही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जनमत जानने और प्रवर समिति को निर्दिष्ट करना दोनों एक ही हैं। सरकार प्रवर समिति को भेज रही है। यह भी सरकार का कदम स्वागत योग्य है। मैं जनमत जानने वाला मेरा प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष: श्री जालम सिंह रावलोत(अनुपस्थित) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपना जनमत जानने वाला प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल बाहेती ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव जनमत जानने हेतु वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है। कि समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अस्वीकार किया गया ।

श्री अध्यक्ष: मैंने अस्वीकार ही किया है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया ।

विधायी कार्य

विधेयक पर विचार

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है राजस्थान के माननीय गृहमंत्रीजी राजस्थान की राजनीति में आपातकाल के उस दौर के संघर्ष की पैदाइश है, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि उस तरह के संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति आज राजस्थान की इस विधान सभा में इस काले कानून को लाने के माध्यम कैसे बन रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह टिप्पणी करना समाज विरोधी क्रियाकलाप तो ठीक है लेकिन इस देश में आज राष्ट्रपति

(श्री संयम लोढ़ा)

के सामने भी मौत की सज़ा प्राप्त व्यक्ति के लिए सज़ा माफी की गुहार लगाई जा रही है और हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिस तरह के अपराध को लेकर के आप यह कानून लेकर के आ रहे हैं क्या वर्तमान में जो कानून विद्यमान हैं वो कानून सक्षम नहीं है इन अपराधों की रोकथाम के लिए, इन अपराधों के मामलों में कार्यवाही करने के लिए, बहुत सक्षम है माननीय उपाध्यक्ष महोदय लेकिन हमारी इच्छा-शक्ति नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक की शुरूआत में लिखा है 'शराब के चोरबाजारियों, खतरनाक व्यक्तियों, मादकद्रव्य अपराधियों, अनैतिक-व्यापार अपराधियों और सम्पत्ति हथियाने वालों का उनके लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले समाज-विरोधी और खतरनाक क्रियाकलापों का निवारण करने के लिए निवारक-निरोध किये जाने हेतु उपबंध करने के लिए विधेयक। अब यह लोक व्यवस्था पूरे इस कानून के अन्दर आपने लोक व्यवस्था को कहीं डिफाइन नहीं किया और जिस तरह के अपराधियों को लेकर के आप यह कानून लेकर के आ रहे हैं, अजमेर में व्यक्ति वह अपराध करेगा उस पर तो यह आपका कानून कार्यवाही करेगा, जयपुर में व्यक्ति अपराध करेगा तो आपका कानून कार्यवाही करेगा लेकिन अजमेर जिले के ब्यावर में अगर इसी तरह के अपराध कारित होंगे तो आपका यह कानून कार्यवाही नहीं करेगा, दौसा में अपराध कारित होगा तो आपका कानून कार्यवाही करेगा, कोटपूतली में इसी तरह के अपराध होंगे तो आपका कानून कार्यवाही नहीं करेगा, सिरोही में अपराध होंगे, इसी तरह के अपराध होंगे तो आपका कानून कार्यवाही करेगा, माउंट आबू में इसी तरह के अपराध होंगे तो आपका कानून कार्यवाही नहीं करेगा। इस पर कैसा कानून लेकर के आये हैं आप। पढ़ लेना पहले जाकर के सब तरह है कि नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधान सभा को कोई बहुत बड़े मजाक का विषय नहीं बनाये और इस कानून को भी लोगों के बीच में राजस्थान की सरकार को हंसी का पात्र नहीं बनाये। कोई भी इस तरह का डिसक्रिमेनेट्री कानून यह क्रिमिनल आफेंस के मामलों में आप कानून लेकर के आ रहे हैं इस तरह का डिसक्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। जो आप इस कानून के माध्यम से करने जा रहे हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आप तो स्वयं विधिवेत्ता है राजस्थान उच्च न्यायालय के बहुत प्रतिष्ठित अधिवक्ता रहे हैं। धारा 302 के मामले में भी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता

(श्री संयम लोढ़ा)

है, जो सबसे संगीन अपराध है, सबसे जघन्य अपराध है तो भी 24 घंटे के भीतर आपको पेश करना होता है और यह कानून प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके एक ही तरह के मामले में अपराधों की शृंखला के कारण अगर आप उठाकर बंद कर देते हैं तो तीन दिन तक तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें किसलिए हमने बंद किया? इसी तरह के कानून का आप उदाहरण देते हैं, तमिलनाडू का उदाहरण देते हैं आप, महराष्ट्र का उदाहरण देते हैं आप, गुजरात का उदाहरण देते हैं आप, वो समुन्द्र से जुड़े हुए प्रदेश हैं वहां उसी तरह के अपराध घटित होते हैं, उस तरह की परिस्थितियां विद्यमान हैं लेकिन इसके बावजूद गुजरात के जितने भी ऐसे मामले हुए उसमें क्या हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए? हमने उससे भी कोई सीखने की कोशिश नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला कलक्टर ने उठाकर बंद कर दिया, तीन दिन में तो उसको आप कारण बताओगे फिर वो एक सलाहकार मण्डल के गठन का प्रावधान किया है जिसमें वो जाकर अपनी बात रख सकें और सलाहकार मण्डल में भी हाई कोर्ट के तीन रिटायर्ड जज होंगे। मुझे तो यह लगता है कि तीन रिटायर्ड जज आपको मिलना भी मुश्किल है।

श्री उपाध्यक्ष: मिल जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। उसमें भी प्रावधान क्या है? उन तीन रिटायर्ड जज के माध्यम से जिस व्यक्ति को आपने उठाकर बंद किया है वह वकील के माध्यम से अपनी बात नहीं कह सकेगा। वह व्यक्ति जिसको आपने उठाकर बंद किया है वह अनपढ़ हो, पढ़ालिखा नहीं हो, न हीं समझता हो, कानून को नहीं जानता हो, अपराधों की व्याख्या नहीं कर सकता हो, अपने अधिकारों को नहीं समझता हो तो उसको इस बात का कोई हक नहीं होगा कि वह वकील के माध्यम से उस सलाहकार मण्डल के सामने बात कैसे कहे? यह किस तरह का आप कानून लेकर के आये हैं? मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय न केवल संविधान प्रदत्त अधिकारों का यह कानून हनन करता है बल्कि मानवाधिकारों का भी हनन करता है। मानवाधिकार आयोग कहता है कि पुलिस जिस वक्त गिरफ्तार करेगी किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार को सूचित किया जाएगा और राजस्थान की सरकार के द्वारा लाया गया यह काला कानून यह नहीं कहता है। मैं आपके माध्यम से निवदेन करना चाहता हूं कि अब उस सलाहकार मण्डल

(श्री संयम लोढ़ा)

में अपील में चला भी गया तब भी उस सलाहकार मण्डल को यह अधिकार दिया है कि वह सात सप्ताह या 50 दिन के भीतर अपना नतीजा दें।

अब 50 दिन के भीतर अगर सलाहकार मण्डल ने यह कह दिया कि आपने गलत किया है तो उस व्यक्ति का क्या मुआवजा होगा जिसने 50 दिन बिना, जो भी आपने कारण लिये हों, वह उसको जायज मानता हो या नहीं मानता हो, आपने उठाकर 50 दिन के लिए बन्द कर दिया और ब्रिटिश राज के टाइम से यह एक सोच चला आ रहा है कि उस जमाने में अधिकारियों को, अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों को यह एक छूट दी जाती थी कि वह कोई भी कार्यवाही करेंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की हुकूमत उसी को लेकर चल रही हो, अधिकारी कुछ भी गलत कर देगा, आपने इसमें प्रोटेक्शन दे दिया कि उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, यह प्रजातंत्र है? आपको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। आपको इसमें यह लिखना चाहिए कि अगर यह बाद में गलत साबित हो गया सलाहकार मण्डल की राय के बाद में तो उस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जायेगा, उस अधिकारी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी, लेकिन नहीं। एक निरंकुश नौकरशाही की तरह आगे बढ़ना चाहते हो। क्या हाल है पुलिस का, हम जानते नहीं हैं क्या? किस तरह पुलिस बेलगाम है, हम जानते नहीं हैं क्या? एक प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ किस तरह का आचरण पुलिस का रहता है, यह तो मामला अपराधों की श्रृंखला का है। गुजरात के मामले में क्या हुआ? व्यक्ति को उठाकर बन्द कर दिया, सलाहकार मण्डल की अपील में गया, सलाहकार मण्डल में जो भी जज साहब बिराजमान थे, सरकार से प्रिविलेज होंगे, कह दिया कि सरकार ने जो किया, ठीक किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, गलत किया आपने। 12 साल पुराने एक मामले में उठाकर के व्यक्ति को बन्द कर दिया। मुकदमे की उसकी श्रृंखला वहां से चालू कर दी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जो कानून लायी है राजस्थान की सरकार, इसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं और इस बात का पूरा खतरा बना हुआ है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग करेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अब इसके अन्दर जो व्यक्ति अपराध कर रहा है और उसने कहीं से

(श्री संयम लोढ़ा)

पैसा लिया है, वाजिब बताकर लिया है, कैसे बताकर लिया है तो उसको भी सपोर्ट मानते हुए उसको भी आप इसमें डाल देंगे, अपराध में सम्मिलित कर देंगे और मैं गृह मंत्रीजी, आपसे यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसी कौनसी परिस्थितियां बन गई हैं, ऐसे कौनसे अपराध घटित हो रहे हैं कि आपको इस कानून की जरूरत पड़ रही है कि जो वर्तमान कानून के जरिये भी आप उन अपराधों से पार नहीं पा सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उनकी जानकारी में कुछ बिन्दु लाये हैं, वे बिन्दु निश्चित तौर पर राजस्थान की आम जनता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं और सम्पत्ति लैण्ड ग्रेबर का जैसा मैंने जिक्र किया है, क्या नगरपालिका के कानून में प्रावधान नहीं है उसके लिए? राजस्थान में कितने ऐसे मामलों के अन्दर आपने कार्यवाही नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत की है, वह आप देख लीजिये। शराब की कालाबाजारी का मामला लीजिये। क्या पुलिस की हालत बनी हुई है? इसी सदन में बार-बार आप जब गृह मंत्री नहीं थे, आपने कितनी बार चर्चा की है पुलिस और शराब के ठेकेदारों की मिलीभगत की। आज शराब के ठेकेदार के निशाने पर आम आदमी है। खुद शराब के ठेकेदार पुलिस को अपनी गाड़ी में ले जाकर शराब देते हैं और मुकदमा जिस व्यक्ति के खिलाफ में वह दर्ज करवाना चाहते हैं, उसके खिलाफ दर्ज कर दिया जाता है, क्या आप यह नहीं जानते? पुलिस का यह सारा आचरण आपकी जानकारी में होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता और आप जैसा व्यक्ति जब आपातकाल का दौर था, उस दौर में जिसने संघर्ष किया हुआ हो, वह इतने अधिकार किस आधार पर देने जा रहा है, किस आधार पर देने की सोच रखता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी राजनैतिक इच्छाशक्ति को जाग्रत कीजिये और जो वर्तमान में कानून है, उस कानून को फोर्स में लाने की कोशिश कीजिये। आपने तो बहुत बड़ी-बड़ी बात इस सदन में पहले भी कही थी कि किसी भी थाना हल्के के अन्दर अगर यह चीज पकड़ी गई तो उस थानेदार को हटा दूंगा। कितने थानेदार हटा दिये राजस्थान में? अवैध वाहनों के चलन की बात हुई, जिस थाना हल्के के

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्तर्गत इस तरह की गतिविधियां पाई गईं तो उस थाना हल्के के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। कितनों के खिलाफ कार्यवाही की? यह सारे कानून बने हुए हैं। ओवरलोडिंग को लीजिये। क्या कानून बना हुआ नहीं है। राजस्थान में ऐसी कौनसी तहसील है, कौनसा ऐसा नगर पालिका क्षेत्र है जहां... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पिंडवाड़ा का किस्सा बताता हूं। एक जीप का चालान हुआ तो उसमें 42 सवारियां भरकर उसने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने मानने से इन्कार कर दिया तो जब 42 सवारी भरी हुई गाड़ी चल रही है और कानून बना हुआ है, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, उसको फोर्स में नहीं ला पा रहे हैं, अपने ही लोगों से उसकी पालना नहीं करवा पा रहे हैं तो यह शराब की तस्करी, यह जमीनों के मामले, इन सब के अन्दर इतने खतरनाक कानून की माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने संवैधानिक अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, उन सबकी रक्षा करने के लिए, उनको कायम रखने के लिए इस कानून को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये जिससे लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद लोढ़ाजी। श्री मोहम्मद माहिर आजाद (अनुपस्थित) श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित) श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 आज माननीय गृह मंत्रीजी ने सदन में पेश किया है और प्रवर समिति में भी इस पर व्यापक चर्चा हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। जब कभी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है या कानून में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके पीछे उसका कारण उसका इतिहास बनता है। मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान में ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गईं जिस कारण से आज इस बिल को लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है? जो भावना इस बिल की प्रस्तावना में माननीय गृह मंत्रीजी ने व्यक्त की है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। "प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बाद कतिपय समाज विरोधी व्यक्तियों की, जैसे शराब के चोर बाजारियों, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों, अनैतिक व्यापार अपराधियों और सम्पत्ति हथियाने वालों की गतिविधियां आम जनता में असुरक्षा का भाव और साथ ही

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आम जनता के जीवन और सम्पति को गम्भीर और व्यापक खतरा उत्पन्न कर देती है और जिससे राज्य में लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम 1999 के विद्यमान उपबन्ध ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध करने के लिए अविलम्ब लेने हेतु पर्याप्त नहीं है..." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो प्रकार की बात कही है। बहुत सारे अपराधों को जोड़कर जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इनके लिए ऐसे कानून नहीं है जो अविलम्ब ऐसे लोगों को डिटेन कर दिया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को आप पर्याप्त नहीं मानते। मैं आज आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, मेरे पास यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कापी भी है और यह एक्ट भी है। आप दोनों को पढ़ लीजिये, मुलाहिजा फरमा लें। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की काफी गहनतम स्टडी की होगी। केवल अगर दो मुद्दों को छोड़ दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का अधिकार क्षेत्र पूरे हिन्दुस्तान में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर होता है और जो वर्तमान में आज कानून लाया जा रहा है इसका क्षेत्राधिकार राजस्थान होगा। तमाम प्रकार की गतिविधियां, समान प्रकार का सारा कंडक्ट जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में है, आपने उसकी कापी करके रख दिया और जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इफेक्टिव रूप से काम कर रहा है और आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत समाज विरोधी गतिविधियां करने वाले गुण्डा तत्वों को आप निरोध कर रहे हो फिर अचानक ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई कि इस कानून को लाया जाय और आपने आधार बनाया कि हम ब्लेकियों को बंद करेंगे, आपने आधार बनाया स्वापक औषधि कानून को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको आधार बनाते समय आपने बहुत अच्छा समाज में संदेश देने के लिए दो चीजें इसमें जोड़ दीं, आभ्यासिक, आदतन अपराधी और लोक व्यवस्था को प्रभावित करना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी की सारी डेफिनेशंस, यह सारी की सारी प्रक्रिया नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोटोपिक सब्सटांस एक्ट में भी यही प्रक्रिया है, क्या यह एक्ट पर्याप्त नहीं है। आभ्यासित व्यक्ति को इस एक्ट के तहत आप एक साल बंद करना चाहते हो और आपका नारकोटिक, एनडीपीएस एक्ट आजीवन कारावास और अगर वह आभ्यासित करता है तो उसको मृत्यु दण्ड के प्रावधान की इजाजत दे रहा है। आभ्यासिक व्यक्ति को आजीवन कारावास

(श्री प्रहलाद गुंजल)

से लेकर मृत्यु दण्ड के प्रावधान की इजाजत दे रहा है और आप यह नया एक्ट लाकर उसको एक साल की सज़ा देकर कौनसी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं? आपको इस प्रकार के नारकोटिक एक्ट के, नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोटोपिक सब्सटांस एक्ट के प्रोवीजन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की आजीवन कारावास और आभ्यासिक व्यक्ति की मृत्यु दण्ड जैसे प्रोवीजन कमजोर लग रहे हैं, इसलिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ गई? आपको अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 जिसमें सारे का सारा पांच वर्ष का छह वर्ष का कठोर कारावास और अगर यह अनिच्छा से और नाबालिग जैसे लोगों के साथ घटित होता है तो आजीवन कारावास तक का प्रोवीजन किया गया है, यह जो इतना मजबूत कानून बना हुआ है, चाहे राजस्थान एक्साइज एक्ट का कानून हो, साधारण अपराध करने वाले और आभ्यासिक अपराध करने वाले, दोनों प्रकार के व्यक्तियों को, औषधि प्रसाधन और सामग्री अधिनियम, 1940, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अधिवक्ता रहे हैं, आपका अनुभव हमसे ज्यादा है, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें सामान्य प्रकार का अपराध और आभ्यासिक रूप से अपराध करने का प्रोवीजन इसमें स्पष्ट नहीं किया होता, जो आप कह रहे हैं, जो आदतन अपराधी होगा, इस प्रकार का आभ्यासिक होगा, उनको हम साल भर बंद रखेंगे और आपके जो पूर्व में विद्यमान कानून हैं, वह ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास और मृत्यु दण्ड तक का प्रावधान कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गईं जिसके कारण से कानून के मृत्यु दण्ड और आजीवन कारावास जैसे प्रोवीजन आपको कमजोर नजर आ रहे हैं और आप कलक्टर को सर्वशक्तिमान बनाकर शक्तियां देकर कौन सी उपाधि हासिल करना चाहते हैं और इसके पीछे की मंशा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस एक्ट का, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं, धारा 2, परिभाषाओं में खतरनाक व्यक्ति की परिभाषा को आप जरा मुलाहिजा फरमायेंगे। खतरनाक व्यक्ति से आशय ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या मुखिया के रूप में, मैं जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय दण्ड संहिता 1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45 के अध्याय 16 और 17, के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध, आप एडवोकेट हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या है भारतीय दण्ड संहिता की धारा 16 और 17 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसके अन्तर्गत, मैं निवेदन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करना चाहता हूं, 299 से लेकर, अध्याय 16- मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाली एक्टीविटीज, 299 से लेकर 377, शरीर के विरूद्ध कृत्य, और अध्याय 17 में 378 से लेकर 462 तक अपराध आ गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज विरोधी गतिविधियां बनाने वालों के लिए आपने अलग से गुण्डा एक्ट बना रखा है, द कंट्रोल आफ गुण्डा एक्ट, आपकी सीआरपीसी की धारा 110 है, समाज का ऐसा कौन सा गुण्डा तत्व है जिसके खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज होने के बाद 110 में कार्यवाही नहीं होती। आज आप गुण्डों को जिला बदर भी करते हैं।

लेकिन इस एक्ट को जो आप ला रहे हैं इसके पीछे की भावना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने तय कर दिया सेक्शन, आईपीसी के चैप्टर 16 और 17 के अधीन जो भी अपराध होगा, माननीय माहिर आजादजी जनमत जानने के लिए परिचालित करने का दे गये और चले गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसमें परिभाषित किया है लोक व्यवस्था में, मैं पढ़ कर बता रहा हूं, धारा 3 की उपधारा 4 में लोक व्यवस्था को डिफाइन किया है। आभ्यासित व्यक्ति वह जो लोक व्यवस्था को प्रभावित करता हो और लोक व्यवस्था में क्या दिया है, इस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करना तब समझा जायेगा जब ऐसा व्यक्ति चाहे किसी शराब की चोरबाजारी या खतरनाक, यह जो भी उल्लेख करता है, के क्रियाकलापों में लगा हो या लगने की तैयारी कर रहा हो जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चार दिन पहले माहिर आजादजी का बयान आया है, हज हाउस नहीं बना तो सड़कों पर निपटेंगे, लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बन गई। जब हम प्रतिपक्ष में थे, राजस्थान के मुख्य मंत्री कोटा में आये, हमने कहा बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं, मुख्य मंत्रीजी किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको इस धरती पर नहीं आने दिया जायेगा, लोक व्यवस्था प्रभावित हो गई, एक दिन में चार मुकदमे दर्ज हो गये। अब आपने कलक्टर को और सरकार के मुखिया जो राजनीतिक द्वेषता निकालने की चेष्टा करेंगे, आपने भस्मी कड़ा उनके हाथ में दे दिया यह कानून बनाकर। यह भस्मी कड़ा है। आपको आईपीसी के चैप्टर 16 और 17 की सारी धाराएं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कोट करते कि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

302 के जैसे घृणित अपराध करने वाले लोगों को इसमें कवर किया जायेगा, आप करते कि हाईवे रॉबरी करने वाले लोगों को इसमें कवर किया जायेगा, आप उल्लेखित करते, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे घृणित अपराध करने वाले लोगों को लिया जायेगा। आपने आईपीसी के चैप्टर 16 और 17 की तमाम धाराएं, एक नाबालिग बच्चा जोर से मोटर साइकिल समाज में चलाना सीख रहा है, दो बार उसकी दुर्घटना हो गई, 337 का मुकदमा बन गया, किसी थानेदार के या किसी अधिकारी के बच्चे के साथ दुर्घटना हो गई, आप रख दीजिये उसको, दो बार एक्सीडेंट हो गया, आभ्यासित रूप से किया। यह बहुत गम्भीर मामला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आईपीसी के 16 और चैप्टर 17 के तहत जिन-जिन धाराओं को इसमें कवर किया गया है, आप पकड़िये अफीम के स्मगलरों को, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आज आपने इतना खतरनाक कानून बना दिया कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी जमानतें लेने के बारे में गम्भीर है, इस प्रकार के अपराधियों को जमानत पर छोड़ा जाना समाज के लिए कितना असुरक्षित है, यह धारणा आज ज्युडिशियरी की बन गई और आपके सख्त कानून के चलते हुए इस प्रकार का अपराधी अगर एक बार आपके हत्थे चढ़ गया, कानून के हत्थे चढ़ गया तो फिर समाज में उसके दोबारा आने की गुंजाइश कई सालों तक नहीं बनती। फिर आप एक साल का कानून कलक्टर को क्यों देना चाहते हैं? फिर आप उसमें जोड़ रहे हैं चैप्टर 16 और 17 पूरा। आप चक्का जाम करेंगे, कल राजनैतिक आंदोलन होंगे, रोज चक्का जाम की घोषणाएं होती हैं, रेलों के रोकने की घोषणाएं होती हैं और आपने फिर गुजरात का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा। दो मुकदमों के आधार पर आदमी को डिटेन करके जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह, मुश्ताक जब्बर मियां शेख वर्सेज एम.एम. मेहता, कमिश्नर ऑफ पुलिस, गुजरात, 1995 में, केस नम्बर 237, 23.3.95 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। आपको अपराध की ग्रेविटी से ज्यादा वह अपराध समाज में कितना प्रभाव डाल रहा है यह आधार पहले खड़ा करना पड़ेगा। कहां परिभाषित किया है आपने? किस पैरा में इस बात का उल्लेख किया है? अपराध की ग्रेविटी और अपराध की ग्रेविटी समाज के व्यापक हिस्सों को प्रभाव डालने के आधारों के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी? दो मुकदमे आपके किसी व्यक्ति के पास, एक से अधिक, मैं आपको

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बताता हूं, पढ़ कर सुनाता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आभ्यासिक में उन समस्त व्याकरणिक रूपभेदों सहित ऐसे कार्य और लोप सम्मिलित हैं जो बार बार निरन्तर प्रायोजित किये जाते हैं और जिसमें एक समान पुनरावृत्तिपूर्ण कार्य और लोपों की सूत्रबद्धता, हम चले गये सब, राजनैतिक दल के कार्यकर्ता हैं, कहीं बिजली के मामले का धरना-प्रदर्शन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से कोई गरमा-गरमी कार्यकर्ता की हो गई मुकदमा दर्ज हो गया कलक्टर के पास हम शिकायत लेकर चले गये और हमने कहा कि यह गलत परम्परा है, यह ठीक बात नहीं है कि छोटे मोटे मामलों में मुकदमा दर्ज हो और दूसरा गर्मागर्मी में वहां भी मुकदमा दर्ज हो गया अपराध की सूत्रबद्धता बन गयी एक ही प्रवृत्ति है और आप बंद कर दीजिये। आपको कलक्टर बारह दिन तक तो अपने अधिकार से रख लेगा, अपने प्रिविलेज से और बारह दिन बाद अगर अपील में जाने के बाद बोर्ड आपको छोड़े नहीं छोड़े वो उसकी मर्जी लेकिन बारह दिन तक कलक्टर आपको रख लेगा। तीन दिन में आपको बतायेगा कि आपको क्यों डिटेन किया गया । संविधान आपको एक्ट बनाने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 22 और यह भी उल्लेखित करता है कि लोकहित में आप कोई जरूरी समझें उसको न बतायें लेकिन आप बंद किये जाने वाले व्यक्ति को कारण भी नहीं बतायें तीन दिन तक। ये जो एक्ट लाया जा रहा है मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान के माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी पिछली सरकार राजनीतिक मंसूबों की पूर्ति करके राजनीतिक दुराग्रह के आधार पर इस एक्ट को लाना चाहती थी लेकिन नैतिकता के आधार पर चर्चा के बाद वो भी इसको लाने का साहस नहीं जुटा पायी। क्यों ठीकरा आप अपने माथे पर ले रहे हो? आपकी राजस्थान में एक साख है गरीब के प्रति दर्द की पहली धार आपके मन में लोगों ने देखी है। राजस्थान में गुलाबचन्द कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री की अपनी एक साख है यह सदन आपका आदर करता है लेकिन एक्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि या तो आप ब्यूरोक्रेट से प्रभावित हो गये या कहीं ब्यूरोक्रेट्स की भाषा ने आपको प्रभावित कर दिया यह आपने सीख ली। अगर इन भस्मासुरों को आप कड़ा दोगे, भोले भण्डारी मत बनो भोले भण्डारी बनकर भस्मी कड़ा हाथ में दोगे तो परिणाम आपने देखा है। बीकानेर में पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, आपके हुक्मनामे के बाद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

क्यों फिर भस्मी कड़ा देकर के आप इनको ताकतवर बनाना चाहते हो? ये बहुत सारी गंभीर विसंगतियां इस एक्ट में, इस एक्ट की मंशा इसको लाने के पीछे माननीय गृह मंत्रीजी आपकी पवित्र हो सकती है लेकिन इस एक्ट का उल्लेख इस एक्ट की व्याख्या जो ताकत का भस्मी कड़ा हाथ में लेकर बैठने वाले व्यक्ति किस रूप में लेंगे इसकी कल्पना आपके पास में होनी चाहिए। चूंकि आपने उसके दायरे को इतना व्यापक बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि आईपीसी के चैप्टर 16 और 17 की 299 से लेकर और 468 तक की सारी धारा के अपराध, रोडवेज के ड्राइवर से भी कलक्टर साहब की नाराजगी होगी उनकी फैमिली को अगर कहीं उसने ठीक वीआइपी ट्रीटमेंट नहीं दिया उनके किसी मिलने वाले को, दो एक्सीडेंट हो गये तो यूनूस खानजी तो सस्पेंड नहीं करेंगे लेकिन कलक्टर साहब उसको चाहेंगे तो एक साल के लिए जेल में डाल देंगे चूंकि उसने 337 या 338 उसका एक्सीडेंट का मुकदमा कारित कर दिया, दो जानें ले लीं। यह इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ..।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ये बहुत गंभीर कानून बन रहा है आप कहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन इस कानून के जो प्रभाव समाज में आने वाले हैं इस कानून की शक्तियों का जिस प्रकार का दुरुपयोग राजनीतिक मंशा के आधार पर होने वाला है उसकी कल्पना हमारे मन में होनी चाहिए और यह विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा करते समय हम क्या कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त कीजिये। कंक्लूड कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय लूंगा। आपको लगता है कि आप न्याय देने के लिए यह कानून बना रहे हो, आपको लगता है कि आपने जो कानून बनाया है इस कानून के तहत जो भी अधिकारी इसकी पालना करेगा वो समाज के साथ न्याय करेगा तो फिर आप इस क्लॉज में जो धारा 17 है इसमें सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के प्रति किसी अधिकारी के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी दूसरी कोई कार्यवाही नहीं होगी यह क्लाज क्यों डाल रहे हो? आपने जब म्युनिसिपल एक्ट के अन्दर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय

120]

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल एक्ट और जेडीए एक्ट में और आपने यूआईटी एक्ट में प्रोविजन कर दिया कि जिस अधिकारी को आप कोई कृत्य कारित करने के लिए रिलाएबल समझते हो, जिम्मेदारी दी है और उसने अपने काम में नेग्लीजेंसी बरती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उसने सरकारी कर्तव्य का दायित्व जिस स्पेसिफिक काम के लिए लगाया है, पूरा नहीं किया तो फिर कार्यवाही होगी। क्यों नहीं इस सैक्शन 17 में ये प्रोविजन करें कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की है और ऐसा पाया जाता है कि इंटेंशनली आपने कार्यवाही की है तो कार्यवाही कारित करने वाला अधिकारी पेनेलाइज होगा। आप अंग्रेजों के जमाने का कानून रखना चाहते हो। सारे ब्यूरोक्रेट्स जनता के ऊपर किस प्रकार से हावी हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब यह एक्ट ड्राफ्ट हुआ था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शायद मुझसे पहले आप इसका विरोध करते लेकिन प्रवर समिति में हटा दिया कि इसमें 91 के तहत जो राजस्थान का किसान जिसको कई बार कलक्टर और एसडीएम बेचारे को तीन-तीन महीने की सज़ा देते हैं जिनसे लाखों रुपये राजस्थान के किसान से अब तक वसूले जा चुके हैं उसको डिटेन करने की पॉवर भी देने जा रहे थे लेकिन प्रवर समिति में आपने हटा दिया । बहुत बड़ी कृपा राजस्थान के किसान पर की है, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप संविधान के अनुच्छेद 20 का वायलेशन नहीं करें एक्ट बनाकर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मुकदमों के आधार पर गुजरात में किया, एक मुकदमे में सज़ा हो गयी एक चल रहा है दो मुकदमों को आधार बना रहे हो । आपका अनुच्छेद 20 और आईपीसी की धारा 300 यह कहती है कि न तो दो बार विचारण होगा न दो बार एक अपराध के लिए सज़ा होगी एक बार तो दोष सिद्ध होकर उसने सज़ा पा ली । दुबारा आप एक साल की सज़ा ठोक रहे हो एक राठौड़ी का कानून लगाकर उसके माथे पर। यह जो परम्पराएं जिस प्रकार के कानून और इनके इंटेंशन और इनके रिप्रगेशंस जो समाज के सामने आने वाले हैं वो हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करके पारित करने की आवश्यकता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं लेकिन चूंकि मैं सत्ता पक्ष का सदस्य हूं और व्हिप से बंधा हूं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के मेरे उस प्रस्ताव को वापस लेने की इजाजत चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय गृह मंत्रीजी लेकर आये हैं राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 जो लेकर आये हैं मुझे तो कहना यह था कि सरकार ने इतने कानून बना रखे हैं लेकिन उन कानूनों से काम नहीं चल रहा है हमारा? 107,151 का कानून है 107, 117 का कानून है यदि पुलिस कार्यवाही करना चाहे तो वो इतना बड़ा कानून है कि दुबारा आदमी उस अपराध को करने की हिम्मत नहीं करता। आज कौनसा एक्ट बना हुआ नहीं है आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 जिसमें मीसा में बंद करते हैं इमरजेंसी में काला कानून बना था मीसा एक्ट लागू हुआ । उसमें कई राजनीतिक नेताओं को बंद कर दिया जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई 19-19 महीनों तक लोग जेल में बंद रहे मैं खुद भी 11 महीने तक जेल में बंद रहा था। जब जनता पार्टी की सरकार आयी तो उस कानून को सरकार ने विदड्रा किया फिर 1980 में वो दुबारा से इसको मीसा एक्ट के अन्तर्गत लाये। दुबारा कानून बनाया। एनडीपीएस एक्ट का कानून बना हुआ है आज उस एक्ट में कोई गिरफ्तार होता है तो उसमें कोई जमानत नहीं है साल-छः महीने तक बंद रहता है उससे भी क्या बड़ा सख्त कानून होगा यह । आज शराबखोर के लिए कानून बना हुआ है । चार बातें जो इन्होंने कहीं हैं शराब की चोरबाजारी, मादक द्रव्य अनैतिक व्यापार करने वाले, भूमाफिया गिरोह ऐसे लोगों के खिलाफ यह कार्यवाही होगी। मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, क्या इसमें राजनीतिक लोगों के खिलाफ काम नहीं होगा? कोर्ट का जो कानून है उस कानून को हम कलक्टर के हाथ में दे रहे हैं। आज 302 का मुलजिम है 307 का मुलजिम है लेकिन उसके बाद भी उसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी उसके बाद में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पार नहीं पड़ेगी तो वह आगे भी जाएगा उसको न्याय मिलेगा लेकिन आज इसके लिए सबसे बड़ा एम्पावरफुल कलक्टर बारह दिन तक तो गिरफ्तार करने के बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं है उसके बाद में ज्यूडिशियरी के नाम से तीन सदस्यों की एक कमेटी अपाइंट करेंगे वो उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इतने सारे कानून बने हुए हैं। मैं तो गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि जितने कानून बने हुए हैं उन कानूनों को प्रभावी रूप से पुलिस लागू करे और पुलिस के नीचे लेवल पर कोई न कोई ऐसा परिवर्तन करें कि समाज को उसका लाभ मिले और समाज

(श्री हेमराज मीणा)

विरोधी जितनी गतिविधियां होती हैं यह कानून है उसके लिए पर्याप्त है लेकिन प्रवर समिति ने यह बात रखी है और प्रवर समिति ने बनाकर के बिल भी दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज चारों तरफ वातावरण ऐसा है, अपन देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि मंत्रीजी कोई आदेश देते हैं तो कोई सेकेट्री मानने के लिए तैयार नहीं है कोई एमएलए जाता है वो कल इस बात पर डिस्कस हो गया, वो परवाह नहीं करते कि एमएलए कौन है लेकिन आज हम ब्यूरोक्रेसी को फिर मजबूत कर रहे हैं कलक्टर के हाथ फिर मजबूत कर रहे हैं चाहे जिसको पकड़कर धर देगा। जिसका राज होगा उसका सिक्का चलेगा। मेरे से पहले वाले वक्ता ने भी बात कही कि बिजली के लिये किसान प्रदर्शन करता है, एक मुकदमा बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति में काम करते हैं जब कोई असहनीय बात होती है जब किसी भी प्रकार से कोई ज्यादती होती है तो राजनीतिक लोग उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं । एक मुकदमा बना, दो बने, तीन बने, कई सारे मुकदमें बनते हैं । सरकार ने यह भी पास किया कि अगर आप नेशनल हाइवे जाम करोगे तो आपके खिलाफ सरकार मुकदमा दर्ज करेगी। तो जनहित के मामले में मुद्दे उठेंगे लेकिन उसका राजनीतिक नुकसान यह होगा कि जो कलक्टर और जो रूलिंग पार्टी है वह लोग उसका नाजायज फायदा उठायेंगे । जैसा मीसा में हुआ था, जैसा 1975-76 में आपातकाल के समय हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाकर सारे राजनेताओं को जेल में डाल दिया था । इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें कलक्टर को इतना पावरफुल न करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इतना पावरफुल न करें ताकि उसकी सुनवाई ही कोई न कर सके । जितने कानून बने हुए हैं उन कानून के आधार पर ही हम जनता को, समाज को सुरक्षा प्रदान करें और इस विधेयक को जो मैंने एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया है जैसे मेरे से पूर्व के वक्ता ने कहा मैं भी रूलिंग पार्टी से बंधा हुआ हूं, व्हिप से बंधा हुआ हूं तो मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे पास करें ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 18 कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 18 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 18 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को पारित किया जाये ।

विधेयक का पारण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 को पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने इस कानून के प्रति अपनी शंका जाहिर की मैं सोचता हूं कि हमारा पहला उद्देश्य है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक रहे और ऐसी कुछ गेंग बन गई हैं जिसके कारण समाज को आज सबसे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है । अगर राजस्थान में इस साल हुए अपराधों को अगर अपन सूचीबद्ध करें तो अधिकांश

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मर्डर तो कोई न कोई शराब गेंग ने एक गेंग ने दूसरे गेंग का किया है । आज अगर जयुपर में जितने मुकदमें दर्ज होते हैं उनमें अधिकांश मुकदमों का हिसाब लगाये तो प्रोपर्टी के एक प्लाट को किसी ने चार बार बेच दिया और चार लोगों को बेच दिया और एक तरह से सरकारी भूमि पर कब्जा करके करोड़पति बनने का एक व्यवसाय जो चलाया है वह भी हम सब लोगों के सामने है । इसी प्रकार से आजकल इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी के माध्यम से अपराध होते चले जा रहे हैं । इसी तरह के बाकी जिस प्रकार के अपराध हमने इसमें लिये हैं, हमारी मंशा यह है कि हम किसी भी प्रकार से इसमें सब प्रकार के आयेंगे। कारण क्या है कि हमने इसमें कोई जल्दी नहीं की है और न हमारी ऐसी मंशा थी कि इस कानून को पास करके अपने हाथ में कोई अधिकार लेने के इच्छुक हों, ऐसी कोई मंशा नहीं है । प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी रहे और इस प्रकार की जो गेंगवार प्रारम्भ हो गई है और जो निरन्तर अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं ऐसे लोगों को किस प्रकार से रोका जाये यह मंशा थी और इस कानून को बनाने की प्रक्रिया हमने कोई आज या कल शुरू नहीं की । पिछली सरकार में जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे तब 8.3.96 को मंत्रिमंडल समिति को यह ज्ञापन सौंपा गया था उन्होंने इसका प्रारूप बनाया था । उसके बाद पिछली गवर्नमैंट ने भी 21.8.02 को मंत्रिमंडल के ज्ञापन द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन करने के उपरान्त मत्रिमंडल की समिति गठन करने का निर्णय किया गया और उसे केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया । उसके बाद 4.3.02 को विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और विधान सभा के चालू सत्र में अनुमति प्रदान की गई । उसके बाद 18.8.03 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अनापत्ति पत्र प्राप्त किया । उसके बाद 4.9.03 को मंत्रिमंडल का यह जो ज्ञापन है वह अध्यादेश लाने का निर्णय किया । यानि हम कम से कम अध्यादेश तो नहीं लाये । हम तो जब प्रवर समिति में लेकर आये हमने सोचा कि इसमें कहीं कोई कमी न रह जाये और कोई इसका दुरुपयोग न करे, हमारी मंशा है अपराधियों को किस प्रकार से कानून के शिकंजे में ला सकें, हमारी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं । इसलिए पिछली सरकार तो इसे अध्यादेश के रूप में लाई । लेकिन आपने देखा कि चूंकि विधान सभा का सत्र समाप्त हुआ, उसको पेश नहीं किया गया वह अपने आप लेप्स हो गया । यही नहीं हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महामहिम राष्ट्रपति को क्योंकि यह समवर्ती सूची में है इसके कारण उनसे भी अनुमति ली है और 15.10.03 को उनकी अनुमति ली । उसके बाद 16.10.03 को राष्ट्रपति की आज्ञा हमको प्राप्त हुई । उसके बाद 23.9.05 को मंत्रिमंडल का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया । 24.1.06 को आगामी विधान सभा सत्र के लिये यह निर्णय किया उसके बाद आपने देखा कि विधान सभा में 2 मार्च को लेकर आये । केवल पुर:स्थापित किया, उसके बाद पूरा समय देने के बाद 4.7 को जब अंतिम दिन था तब आप सब लोगों की राय से, सबकी सहमति से यह कहा कि इस कानून को परफेक्ट बनाने के लिये प्रवर समिति को दिया जाये और प्रवर समिति में मैं सोचता हूं इस सदन के विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने भाग लिया और जिनको कानून का ज्ञान है उन्होंने अच्छी प्रकार से इसको देखने के बाद प्रवर समिति की चार मीटिंग होने के बाद यह प्रवर समिति से एप्रुव होकर जो प्रुव आपके पास आया है उसमें सबसे बडी जो शंका है आपको ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गृह मंत्रीजी आप एक पाइंट का जवाब और दे देना, एक साल के लिये निरुद्ध आप इसको कर रहे हैं, एक साल के लिये आप इसको न्यायिक कार्यवाही के लिये भी नहीं जाने देंगे, यह परफेक्ट कानून है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं दोनों में थोड़ा अंतर कीजिए । जो अपराध आईपीसी के होते हैं उसमें सज़ा का प्रावधान है इसलिए इसको निरोध करने का मतलब इसमें प्रिवेंशन यानि घटना घटे उसके पहले, इसके लिये सारी कमेटी ने बहुत विचार किया और विचार करके कहा कि इस में किस प्रकार के लोग आये.. (व्यवधान) इसमें पहले यह नहीं था कि इसमें हैबिचुअल आफेंडर है या नहीं, पहले तो सामान्य अपराधी भी इस श्रेणी में आता था । समिति ने विचार करके कहा कि नहीं, जो हैबिचुअल आफेंडर हैं इस प्रकार की कार्यवाहीं में, जो बार-बार इस प्रकार की घटना करता है, रिपीटली करता है उसको ही इसमें लिया जाये । इसका ध्यान रखकर इसको इस पर केन्द्रित किया है ।

"Habitual, with all its grammatical variations, includes acts or omissions committed repeatedly, persistently and frequently having a thread of continuity stringing together similar repeated acts or omissions but shall not include isolated, individual and similar acts or omissions."

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसमें हमने उन लोगों को बाहर रखा जो आइसोलेटेड हैं अकेला है। कभी किसी ने अपराध किया, उसको जानबूझकर यह शब्द डालकर और जो निरन्तर, रिपीटेडली बार-बार जिस अपराध को करता है, उन्हीं लोगों को इसमें रखा है तो इस कानून का उस प्रवर समिति में सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही, सबकी यह जो शंकाएं थीं, इस शंका को निकालने की दृष्टि से इस लाइन को डालकर हैबिचुअली आफेण्डर को ही जो बार-बार इस प्रकार का, एक बार एक्सीडेंट हो गया या यह हो गया, पता नहीं अब आपने इसमें सोचा है 16, 17 को इसमें जोड़ा है, निश्चित रूप से लेकिन इस प्रकार के अपराधी जो जानबूझकर करते हैं और उसके साथ-साथ भी केवल करने से नहीं है, जब तक वे पब्लिक आर्डर को इफेक्ट नहीं करे तब तक इस कानून का कोई अर्थ नहीं, इसके साथ पब्लिक आर्डर जुड़ा हुआ है। जहां जनता में असंतोष पैदा हो, उसकी एक्टीविटीज से तब जाकर वह कानून का मतलब निकलता है अन्यथा केवल यह अपराध कर देने से भी उसको इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जब तक कि जो पब्लिक आर्डर, जिसको हम कहते हैं, जनता को उद्वेलित करके, आन्दोलित करे या कोई अपराध या कोई इस प्रकार की स्थिति लाकर खड़ी करे उसके लिए ही इसको हमने रखने का प्रयास किया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय गृह मंत्रीजी वह सशंकित है, उनके साथ जिस किस्म का व्यवहार किया जा रहा है तो कहीं गलत-सलत तो नहीं हो जाएगा। ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जाने के बाद भी इस पद पर चाहे कोई भी व्यक्ति रहेगा, कोई भी सरकार आयेगी इसमें कहीं भी इसका दुरुपयोग करने की उसको गुंजाइश नहीं छोड़ी है क्योंकि प्रवर समिति में इतना ज्यादा इसको एक-एक बिन्दु पर डिस्कस होने के कारण से मैं इसमें कोई लम्बी इतनी नहीं है, अब आपने एक शंका जाहिर की कि हमारे यहां पर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक नीचे गिर गया कागज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है हमारे पास में पर यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में यह सारी चीजें इसमें नहीं होती, केवल उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से या राज्य की किसी सुरक्षा से संबंधित मामले आते हैं। उतने तक ही उसमें कवर होते हैं और उसमें नहीं होते हैं। इसके

श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अन्दर हमने उन सारे अपराधियों को लेने का प्रयास किया जो इस प्रकार की गैंगवार बनाकर सम्पूर्ण राजस्थान की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का एक अभ्यास ही बना दिया। जैसे वाइल्ड लाइफ है, अब लगातार एक के बाद एक वाइल्ड लाइफ की, वह मारता ही जा रहा है, मुक़दमे उस पर कई दर्ज होते जा रहे हैं उसके बाद भी जब कभी कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट में चूंकि कहीं न कहीं उसकी जमानत होकर बाहर आ जाते हैं इसको रोकने की दृष्टि से कि कम से कम एक साल तक रहे। वह भी हमने ऐसा नहीं है, पहले हमने कहा कि सात दिन तक हम उसको डिटेन करेंगे। कमेटी की राय हुई कि सात दिन बहुत ज्यादा होता है, हमने उसको तीन दिन किया। बाकी स्टेट से भी इसकी तुलना करें कि यही कानून जो महाराष्ट्र में लागू है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, उनके अन्दर कम से कम सात दिन और पांच दिन दिया। हमारी कमेटी ने विचार किया कि नहीं, कम से कम जो कलक्टर अपनी रिपोर्ट देता है वह तीन दिन के अन्दर वह सरकार के पास चली जाएगी और उस पर सरकार विचार करेगी। सरकार उन सब सवालों को पूछेगी जिसके आधार पर कलक्टर ने अपनी राय दी और उसके बाद भी सरकार को भी केवल 12 दिन इस पर विचार करने का अधिकार है। इससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद तीन जजों की, पहले यह था कि हम, जज जो हैं किस प्रकार से बनायें तो हमने दोनों, जो सीटिंग जज हैं वह भी हो सकते हैं और जो रिटायर जज हैं, वे भी हो सकते हैं। हमने किसी व्यक्ति को नहीं डाला या हमने यह नहीं कहा कि हम कोई राजनीतिक अपाइंटमैंट करके किसी को रखकर इस, हमारा गठन जो मकसद है वह यह नहीं था, हम यह चाहते हैं कि यह परफेक्ट बने और इसमें ठीक प्रकार से हो। उसमें भी उनको समय दिया कि उनको पचास दिन से ज्यादा समय नहीं है। जिस प्रकार का उनको विचार करना है, पचास दिन में उसका उनको फैसला करना है। इसके बाद भी अगर सरकार के पास फिर से कोई रिप्रजेंटेशन आये और अगर उसे लगे कि इसमें कहीं कमी रही है तो उस पर पुनर्विचार करने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है, उसको बीच में भी छोड़ने का अधिकार है। उसको बीच में भी रिलीज किया जा सकता है तो मैं सोचता हूं कि जहां तक सम्भव हुआ, केवल मंशा जो इसके पीछे थी वह यही थी कि इस प्रकार के अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं और एक ऐसी गैंगवार तैयार हो रही है, जिसको आप, मैं अपने फील्ड में हमेशा इस बात को देख रहे हैं और कोर्ट में कई बार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो आदमी इतनी बार अपराध करने के बाद भी जब न्यायालय में जाता है तो दो दिन नहीं तो चार दिन बाद जमानत होकर बाहर आ जाता है।

हम चाहते हैं कि इस प्रकार के समाज विरोधी जो लोग हैं उनको कम से कम यह अहसास तो हो कि इस कानून के द्वारा हम उसको कस तो सकें। इस बात को ध्यान में रखकर किया है। कि कोटा से, मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है, मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का कोई है नहीं और हमने इसको परफेक्टली देखा है और उसके बाद भी अगर आपको कहीं लगता है कि किसी प्रकार की कमी है तो मैं सोचता हूं कि अब जैसे आप कह दें आप कि 302 के मुकदमे में 24 घंटे में होता है, तो 302 का मुकदमा एक सज़ा की प्रक्रिया वाला मुकदमा है, यह तो पहले से ही डिटेंशन करने वाला मुकदमा है। दोनों में अन्तर है और इस कारण से हम कोई उसमें इस प्रकार से नहीं है। अब इसमें तीन हाई कोर्ट के जज जो हैं, उसमें वकील पैरवी नहीं कर सकेगा। मैं सोचता हूं कि तीन हाई कोर्ट के जज लगाये इसलिए हैं कि इन लोगों के सामने यह अपने केस को अगर ठीक तरह से फीड करेगा और उसमें अपने कोई ऐसे तथ्य देगा तो पचास दिन में उसका फैसला हो जाएगा। निरंकुश शासन हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि क्या निरंकुश होना है। किसी को भी इसमें से क्या चीज मिलने वाली है? इस प्रकार के जो बार-बार अपराध करते हैं उन लोगों को भी अगर हम कानून के सीख़चे में नहीं डालकर उनको बचाने के लिए उनको हम एक साल अगर अन्दर नहीं रख देते हैं तो मैं सोचता हूं कि किसी प्रकार का क्या नुकसान होने वाला है। मेरे को तो समझ में नहीं आयी। आपके मन में जो शंका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मैंने कह दिया। अब नारकोटिक्स एक्ट है। यह नारकोटिक्स एक्ट तो सज़ा देता है। यह सज़ा नहीं देता है लेकिन जो लगातार एक के बाद एक अफीम चोरी का काम ही करता है। एक केस हो गया, दो केस हो गया, सज़ा भुगत कर भी आ गया फिर उसके बाद उसी धंधे में लग जाता है, उसको कम से कम वह नहीं लगे, उसको हम रोक सकें कम से कम उसे यह तो लगेगा कि मैं कानून के दायरे में हूं और इस कारण से हमने उसको किया है और यह जो आपके मन में है कि किसी प्रकार से इसका दुरुपयोग होगा, कोई दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर इसके प्रत्येक बिन्दु को ठीक प्रकार से और फिर जो आपने बताया था लोक व्यवस्था का मतलब है, इसका यही अर्थ होगा जो उसे धारा 3 की उप धारा 4 के अधीन समाहित किया है। अब इसमें जो 4 है-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

'(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को 'लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी रीति से कार्य करना' तब समझा जायेगा जब ऐसा व्यक्ति चाहे किसी शराब के चोरबाजारिये के रूप में या खतरनाक व्यक्ति या औषधि अपराधी या अनैतिक-व्यापार अपराधी या सम्पत्ति हथियाने वाले के रूप में किन्हीं भी ऐसे क्रियाकलापों में लगा हो या लगने की तैयारी कर रहा हो जिनसे लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।'

हमने इसको पब्लिक आर्डर को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है इससे पैदा होगी ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने फिर इस स्पष्टीकरण में लोक व्यवस्था शब्द यूज कर लिया। लोक व्यवस्था डिफाइन कहां हुई इसमें ? मैंने यह कहा आपको कि लोक व्यवस्था डिफाइन कहां हुई? लोक व्यवस्था शब्द फिर स्पष्टीकरण में यूज कर दिया। लोक व्यवस्था के लिए हो, लोक व्यवस्था क्या, वह तो डिफाइन करते न एक्ट में आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मतलब यह है जो हमने दिया लोक व्यवस्था में यही जो सेक्शन 3 का 4 भाग दिया है, इसमें हमने इसको क्लियर किया है कि लोक व्यवस्था का मतलब क्या है। इस तरह से लोक व्यवस्था का जो है, हमारी डिस्टर्ब हो सकती है तो मेरे हिसाब से और इसमें हमने हर कदम पर, जहां-जहां पर भी हमको लगता था कि इसमें किसी प्रकार का डिले है, जैसे उसमें पचास दिन की जगह 7 वीक लिखा तो हमने इसमें बिलकुल क्यिलरकट किया पचास दिन, यानि समय को भी उसी तरह से घटाया, अधिक से अधिक वह सरकार के पास 12 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय गृह मंत्रीजी, लोक व्यवस्था के भंग होने का जहां तक प्रश्न है, राजनीतिक आन्दोलनों में भी लोक व्यवस्था भंग होती है। कल को जनता के लिए संघर्ष करना छोड़ दे लोग। आप इसमें डिफाइन करिये कि राजनीतिक आन्दोलनों के दौरान लगने वाले किसी भी प्रकार के मुकदमे को इसमें कवर नहीं किया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसीलिए हैबिचुअल कहा है, हैबिचुअल कहा है। बार-बार ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): एक आन्दोलन में जेलें भरनी पड़ती हैं। लगातार महीनों-महीनों तक आन्दोलन चलते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मान लें और हम यह हैबिचुअल शब्द नहीं डालते तो आपकी मन की शंका होना स्वाभाविक है। हैबिचुअल डालना और इस प्रकार के अपराध में सम्मिलित रहना इन दो बातों को स्पष्ट करने के पीछे जिस कमेटी ने किसी एक विषय पर अपने को केन्द्रित किया कि किसी अनजाने आदमी के साथ कोई किसी को गलत समझकर किसी के साथ इस कानून का दुरुपयोग नहीं करें। इसको ध्यान में रखकर ही इस परिभाषा को जो सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): राजनीतिक कार्यकर्ता बार-बार जनता के लिए संघर्ष करता है। उसको कोई कानून नहीं रोक सकता। आप बतायें कि उसको भी बंद करेंगे फिर। ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि कानून हम ही बनाते हैं। कानून को बदलने का काम भी हम ही करते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि इस कानून द्वारा राजनीतिक लोगों के साथ होगा तो हम लोग यहां पर बैठे हैं न, क्या इसको बदलने के लिए, हम नहीं बदल सकते हैं? मैं सोचता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आपके मन में एक ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): 1974-75 में ईमरजैंसी में दो-दो साल और 18-18 महीने तक आप जेल में रहे और उसके बाद कानून बदला है राज बदला जब, नहीं तो मीसा बदलता थोड़े ही। मीसा बदलता क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप क्या चाहते हो कि आप अफीम चोरते रहोगे और बार-बार करते रहोगे और मुकदमे दर्ज होंगे और हम आपको छोड़ते रहेंगे?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): लो हेमराजजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप इसी तरह जमीन लोगों की हथियाते रहेंगे और हम आपको छोड़ते रहेंगे, जो इसमें है यह ... (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय गृह मंत्रीजी, आप जो कानून बना रहे हो ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय गृह मंत्रीजी, इसमें तो कानून अपना काम कर रहा है, जो जमीन का ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे हिसाब से सही है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): जो जमीन पर कब्जा कर रहा है उसमें कानून काम कर रहा है। जो अफीम चोर रहा है उसमें भी कानून काम कर रहा है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप सब लोगों की बात ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): जो अपराध कर रहा है उसमें भी कानून काम कर रहा है। (व्यवधान) जो माफिया गिरोह काम कर रहा है, उसमें भी कानून काम कर रहा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): आई.पी.सी. की 13,16 और 17, कुछ धाराएं हैं ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उसके कानून बने हुए हैं। फिर इस कानून की आवश्यकता क्यों?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): राजनीतिज्ञ इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, यह कह दीजिए।

श्री हेमराज मीणा: फिर इसके लिये इस कानून की आवश्यकता क्यों हो गयी? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: एक संदेह और जो आपको था ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: गृह मंत्रीजी, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि एडवोकेट को आप अलाऊ नहीं करें सलाहकार मण्डल के सामने और ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: यह प्रावधान रखने का क्या औचित्य है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: आपको एडवोकेट अलाऊ करने में क्या कष्ट है ?

एक माननीय सदस्य: गृह मंत्रीजी, राजनैतिक लोग भी बार-बार अपराध करते हैं तो वह भी बंद होने चाहिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: बिलकुल होना चाहिये। (व्यवधान) एक और संदेह था कि चूंकि आपने इसमें जिला हैड क्वार्टर को ही इसमें लिया है ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: गृह मंत्रीजी, यह अपनी सरकार के लिये काला कानून होगा...(व्यवधान) यह काला कानून होगा चाहे जिसको उठाकर बंद कर दोगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: यह कह रहे थे कि केवल जिला हैड क्वार्टर को ही इसमें क्यों शामिल किया ? (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का कहना था कि जिला हैड क्वार्टर को ही आपने इसमें क्यों लिया? कमेटी का यह सोच था कि एक बार इसको जिला हैड क्वार्टर पर लागू करें कि इस कानून से कितना प्रभावी काम होगा, इसके बाद हम अपने क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार जो कम से कम जिला हैड क्वार्टर हैं, उसमें जान-बूझकर इसको सीमित किया कि इसको सारे प्रदेश में लागू न करके एक बार 31 जिलों में जो गैंगवार है, इसको हम इस कानून द्वारा कितना सक्षम रूप से रोक पायेंगे। उसके बाद जब लगेगा कि अब इस कानून का और फैलाव करने की आवश्यकता है तो इसके बाद किया जा सकता है।

श्री संयम लोढ़ा: माउंट आबू से ज्यादा कहीं प्रोपर्टी की वैल्यू है क्या ? माउंट आबू में लागू हो रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: सवाल यह है कि माउंट आबू नहीं, अभी हमने केवल जिला किया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह बिलकुल डिस्क्रिमिनेटरी है कि आप इसको सिरोही में लागू करो और माउंट आबू में नहीं करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: ऐसा है कि हमने कोई जगह देखकर नहीं किया। अभी इस कानून को किस रूप में कहां तक और कितने प्रभावी ढंग से हम इसको लागू कर पाते हैं, इसका क्या इम्पेक्ट आता है, अगर अपने को लगेगा तो इसका क्षेत्र बढ़ाया जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा: आप तो जनता के विचार जान लो मेहरबानी करके ताकि यह...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: माननीय गृह मंत्रीजी, आप जो कह रहे हो, यह सही कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: आपका जो कानून है गृह मंत्रीजी, 107, 151 का कानून भी आपकी पुलिस को प्रभावित करता है। पुलिस कितना प्रभावी ढंग से उस पर कार्यवाही करती है । कानून कुछ भी बना दो लेकिन प्रभावशाली एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो आपका कानून क्या करेगा ? जिसने कानून बनाया उसका प्रभावशाली एग्जीक्यूशन नहीं है, प्रभावशाली एग्जीक्यूशन होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय गृह मंत्रीजी, आप जो कर रहे हो यह न्यायप्रद है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं ऐसे बदमाश लोगों को, ऐसे भू-माफिया और गुण्डों को सजा नहीं मिलेगी तो राजस्थान बिहार बन जायेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं और आज जो राजस्थान की स्थिति बनी हुई है, वह केवल इसलिये बनी हुई है कि बदमाश लोगों को शह मिल रही है। (व्यवधान) काला कानून तो तब है जब उसको लागू नहीं करते हो। काला कानून तब बनता है जब उस पर इच्छा तो होती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होती । अगर राजस्थान के गृह मंत्री की इच्छा शक्ति होगी तो मैं कहता हूं बदमाश लोगों का, भू-माफिया लोगों का विनाश होगा। हरियाणा में चौटाला जी के समय में क्या हुआ था, बदमाशी होती थी और लोगों को लूटते थे और हुड्डा साहब के आते ही जो बदमाश लोग थे उनकी ऐसी हालत कर दी कि वह स्टेट छोड़कर चले गये। आज हरियाणा की हालत यह है कि बदमाश लोग यह बात भूल गये कि हरियाणा में रहना है क्या ? आप भी इसी इच्छा शक्ति को लागू करिये, हम भी आपके साथ हैं क्योंकि बदमाश लोगों को शरण नहीं मिलनी चाहिये। यह अभी कह रहे थे चुनाव में बदमाशी करेंगे। कहां जरूरत है बदमाशी करने की, बूथ कैप्चर करने की। अच्छा काम करिये जनता अपने आप वोट डालेगी। आप काम करते नहीं हो, पांच साल तो घूमते हो महलों में और उसके बाद वोट मांगने जाओ तो कौन वोट देगा आपको? आप बदमाशी करो, बूथ कैप्चर करना चाहते हो। आप इस कानून को लागू करवाइये और बदमाश लोगों को संरक्षण मत दीजिये। यह कोई तरीका नही है। कोई कानून बनता है उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं । अच्छी बात यह है कानून भू-माफिया ...(व्यवधान)

श्री जीतमल : चौटालाजी के राज में हुआ क्या ? (व्यवधान) क्या हुआ चौटालाजी के राज में ? (व्यवधान) ऐसे नहीं ...(व्यवधान) कैसे कह रहे हो...(व्यवधान) हुड्डाजी के राज में नहीं हुआ, उनके राज में क्या हुआ ? ऐसे नहीं, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: हुड्डा के राज में वही हुआ जो वसुंधरा के राज में हो रहा है, जो चौटाला के राज में हो रहा था। (व्यवधान)

श्री जीतमल: रहने दो । (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर: गहलोत के राज में जो हुआ, वह हो रहा है। ... (व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार: मैं यह कहना चाहता हूं चौटाला जी के राज में, भजनलाल जी के राज में क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं।

श्री जीतमल: आप कह रहे हो ना । (व्यवधान)

श्री दांताराम गुर्जर: गहलोत के राज में हुआ, वह चौटाला जी के राज में हुआ। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: स्थिति यह है कि आज की तारीख में राजस्थान की बनिस्पत हरियाणा में शांति है और राजस्थान में आज मैं कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री जीतमल: हरियाणा में शांति है या अशांति है वह तो पता चल जायेगा चुनावों में। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: हरियाणा मेरा लगता हुआ स्टेट है और मैं यह कहना चाहता हूं कटारिया साहब, आज जमीनों के भाव बढ़ने से इतने भू-माफिया है, आज से 10-15 दिन पहले पिलानी में एक मंदिर की जमीन पर 10-15 गुण्डों ने कब्जा कर लिया और उसमें हम पैरवी नहीं करते तो उन्होंने उस पर पूरा अस्तित्व जमा लिया था। उसके बाद में 212 में उसको कुर्क करवानी पड़ी। स्थिति यह हो गयी 10 आदमी चाहे जिस जमीन पर आकर बैठ जाते हैं तो इस तरह की बदमाशी करने वाले लोगों को सरंक्षण मिलेगा तो अच्छे लोग तो जीना बंद कर देंगे।

श्री हेमराज मीणा: ऐसे तो बहुत सारे कानून बनाने पड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: तो बनाओ फिर । (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? कानून तो बन जायेंगे लेकिन प्रभावी एग्जीक्यूशन होना ही सबसे बड़ा प्रभावी कारण होगा। कानून का प्रभावी एग्जीक्यूशन ही नहीं है।

श्री श्रवण कुमार: हम कब कह रहे हैं ? यह पूरा मंत्रिमण्डल बैठा है, पूरा प्रशासन बैठा है, लागू करो न कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण विधेयक, 2006 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण विधेयक, 2006 पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] बारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार,

14 जुलाई, 2008

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य : राम-राम सा। नमस्कार।

राष्ट्र गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।

फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।

सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।

सुखदाम् वरदाम् मातरम्।

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

उप सचिव (सदन) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित

(उप सचिव)

उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण विधेयक, 2006